


बिहार सरकार  
सामान्य प्रशासन विभाग  
--:कार्यालय आदेश:-  
(शुद्धि-पत्र)

का0आ0-15/बि0स0से-03-05/2017 सा0प्र0.....<sup>264</sup> /, पटना-15, दिनांक.....<sup>29.06.2018</sup>

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के कार्यालय आदेश संख्या 262 दिनांक 29.06.2018 में कंडिका-2 निम्न रूप से जोड़ा जाता है :-

2. उक्त दोनों सहायकों का स्थानांतरण/पदस्थापन उनके अभ्यावेदन के आलोक में किया गया है, अतएव उन्हें स्थानांतरण यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।


3. उक्त आदेश की शेष प्रविष्टियाँ यथावत रहेंगी।

  
(गुफरान अहमद)

सरकार के उप सचिव


ज्ञापांक:-15/बि0स0से-03-05/2017 सा0प्र0.....<sup>264</sup> /, पटना-15, दिनांक.....<sup>29.06.2018</sup>

प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव/सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना/ मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, भागलपुर प्रक्षेत्र, भागलपुर/संबंधित कोषागार पदाधिकारी, पटना/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, भागलपुर/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/प्रशाखा पदाधिकारी-16, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना एवं संबंधित सहायकों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
(गुफरान अहमद)

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक:-15/बि0स0से-03-05/2017 सा0प्र0.....<sup>264</sup> /, पटना-15, दिनांक.....<sup>29.06.2018</sup>  
प्रतिलिपि:- आई. टी. मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

  
(गुफरान अहमद)

सरकार के उप सचिव।